International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2024; 6(1): 37-40
Received: 25-11-2023
Accepted: 03-01-2024

डॉ. रविन्द्र कुमार मिश्रा
प्रोफेसर, भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत

जितेन्द्र कुमार योगी
शोधार्थी, भूगोल विभाग, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
डॉ. रविन्द्र कुमार मिश्रा
प्रोफेसर, भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत

अलवर जिले में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों एवं सुझावों का भौगोलिक विश्लेषण

डॉ. रविन्द्र कुमार मिश्रा, जितेन्द्र कुमार योगी

सरांश
भूमि पर बने हुए ऐसे मार्ग जिन्हें समतल करके एवं विभिन्न अन्य रूपों में विकसित किया जाता है, ताकि वाहनों के माध्यम से परिवहन आसान हो जाता है, वे सड़कें कहलाती हैं। यात्रियों एवं माल को एक स्थल से दूसरे स्थल तक न्यूनतम चालन शक्ति का प्रयोग करते हुए पहुँचाने के लिए सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि बनाने में व्यय भी कम हो साथ ही बाद में देखभाल भी सस्ती रहे। लेकिन जब सड़क पर अचानक, किसी की गलती या भूलवश कोई ऐसी घटना हो जाती है, जिससे लोगों को नुकसान पहुँचता है अथवा चोट लग जाती है, तो वह सड़क दुर्घटना कहलाती है। सड़क दुर्घटना होने की वजह गलत सड़क प्रतिरूप का होना, अधिक तेज गति से वाहन चलाना, वाहन चालक का नशे की अवस्था में होना, वाहन चालक का ध्यान भंग होना, लाल बत्ती को लांघना, परिवर्तनशील यातायात प्रवाह गहनता, सीट बेल्ट एवं हेलमेट की उपेक्षा करना, लेन ड्राइविंग का पालन नहीं करना, सड़क पर किसी प्रकार के अतिक्रमण का होना, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना, सड़कों की स्थिति खराब होना आदि में से कोई भी हो सकता है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को कड़ाई से लागू किया जाए, लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी कानूनों की पालना हेतु जागरूक किया जाये है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षित सड़क पार करने संबंधी जानकारी दी जाये। लापरवाही एवं जानबूझ कर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जैसे चालान, ड्राईविंग लाइसेन्स सस्पेंड़, जुर्माना, कारावास आदि प्रावधान लागू हों।

कूटशब्दः सड़क, सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना के कारण, सड़क सुरक्षा, रोकथाम।

प्रस्तावना
सामान्य अर्थ में विभिन्न स्थानों से यात्रियों, माल एवं संदेशों को आवागमन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मार्गों को सड़क कहा जाता है, इन मार्गों पर मानव, पशुओं एवं मोटर वाहनों का संचालन होता है। स्थल यातायात के लिए प्रयुक्त मार्ग अपेक्षाकृत चौड़ा होता है एवं यह कच्चा या पक्का दोनों प्रकार का हो सकता है, सड़क कहलाता है। सड़कें परिवहन के सबसे पुराने साधनों में से एक हैं, सड़कें विभिन्न राज्यों, महानगरों, शहरों, कस्बों एवं गांवों के बीच आवश्यक संपर्क प्रदान करती हैं। सड़क पर अप्रत्याशित एवं अनजाने में हुई घटना, जिससे लोगों को क्षति या चोट पहुँचती है, सड़क दुर्घटना कहलाती है। कोई भी सड़क प्रयोगकर्ता नहीं चाहता कि उसके साथ कभी भी कोई सड़क दुर्घटना हो, लेकिन फिर भी कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अलवर जिले में अधिकतर सड़क प्रयोगकर्ता सड़क के इस्तेमाल के बारे में सामान्य नियमों और सुरक्षा उपायों के बारे में अच्छी तरह परिचित होते हैं, लेकिन प्रयोगकर्ताओं की असावधानी के कारण दुर्घटनाएं एवं टक्कर होती हैं। इन दुर्घटनाओं एवं टक्कर का प्रमुख कारण मानवीय भूल एवं लापरवाही होती है।

अध्ययन क्षेत्र
अलवर जिले की भौगोलिक अवस्थिति $27^{0}41^{1}$ उत्तरी अक्षांश से $28^{0}4^{1}$ उत्तरी अक्षांश एवं $76^{0}07^{1}$ पूर्वी देशान्तर से $77^{0}13^{1}$ पूर्वी देशान्तर के मध्य है, जिले का उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तार 137 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार 110 किलोमीटर है। जिले का आकार एक खडे आयत के समान है इसकी उत्तरी–पूर्वी सीमा हरियाणा राज्य के मेवात व महेन्द्रगढ़ जिलों से तथा पूर्वी व दक्षिणी–पूर्वी सीमा राजस्थान के भरतपुर जिले से स्पर्श होती हैं, जबकि पश्चिम में जयपुर व दक्षिण में दौसा जिले से सीमा लगती है। अलवर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8380 वर्ग कि. मी. है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.44 प्रतिशत है। क्षेत्रफल के आधार पर यह जिला, राज्य में 17वां स्थान रखता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 3674179 है जिसमें पुरुष 1939026 तथा 1735153 स्त्रियाँ हैं।

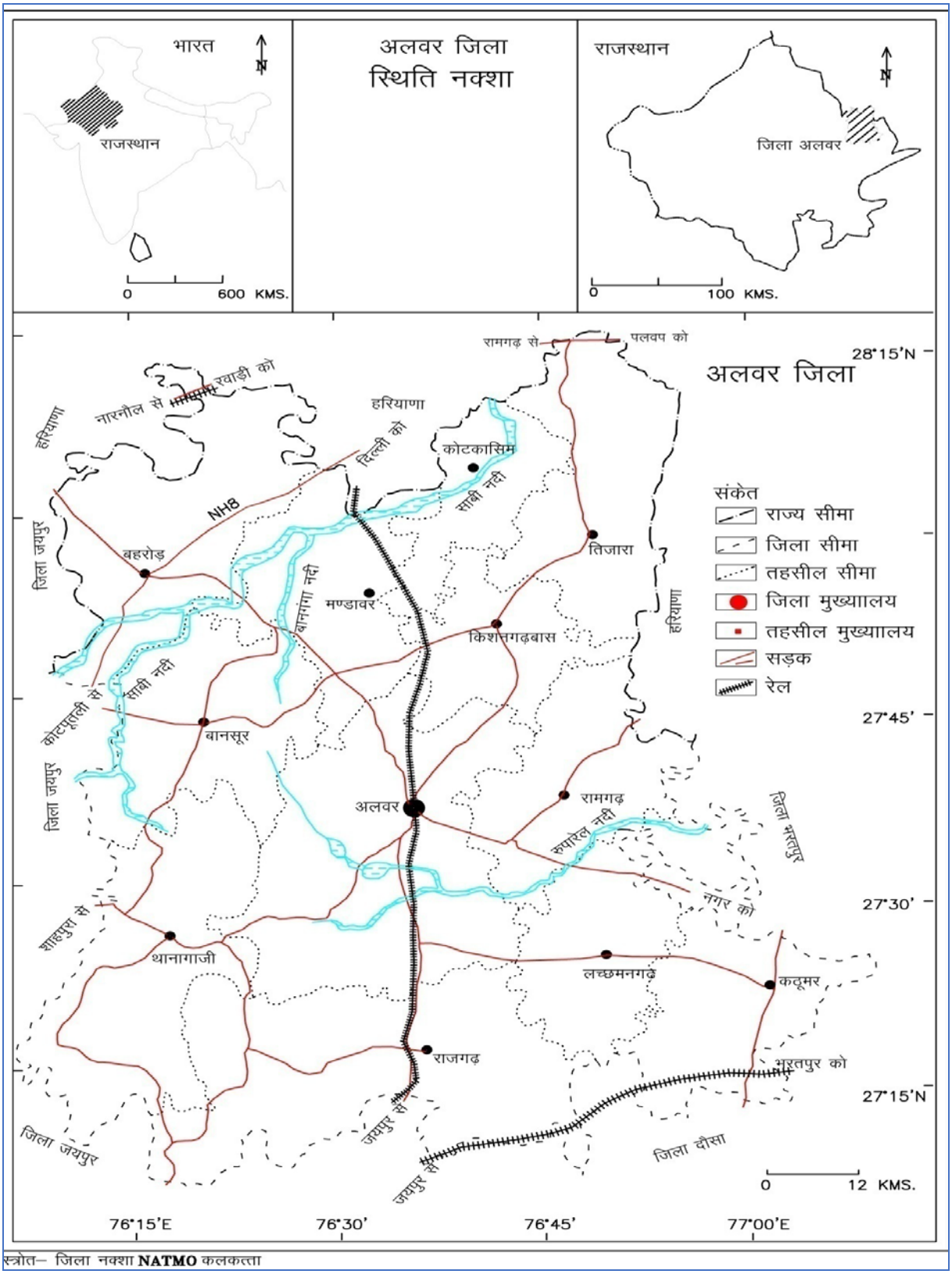

स्त्रोत– जिला नक्शा **NATMO** कलकत्ता

मानचित्र 1: अलवर जिले की अवस्थिति

उद्देश्य

1. अलवर जिले में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का अध्ययन करना।
2. अलवर जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

1. अलवर जिले में अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण वाहन चालकों की गलती अथवा लापरवाही ही रहती है।

शोध विधि

उक्त अध्ययन में उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए विषय पर उपलब्ध साहित्य से सम्बन्धित पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र की सूचनाएँ सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों से एकत्रित करके विश्लेषित की गयी हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सामग्री

तथा आंकड़ों का एकत्रीकरण निम्नलिखित स्रोतों से किया गया है

1. **प्राथमिक स्रोत :** इस सम्बन्ध में अनुसूची, प्रश्नावली, कार्यकरण तथा परिचर्चा के बारे में व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से उपयोग किया गया है।
2. **द्वितीय स्रोत :** इस सम्बन्ध में प्रकाशित व अप्रकाशित सामग्री, पत्र–पत्रिकाओं, लेखों, कार्यालयों की सूचनाओं का उपयोग किया गया है।

सड़क दुर्घटनाओं के कारण

अलवर जिले में सड़क दुर्घटनाओं के सामान्य कारणों में गलत सड़क प्रतिरूप, तेज गति से वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना, ड्राइवर का ध्यान बंटना, लाल बत्ती को लांघना, परिवर्तनशील यातायात प्रवाह गहनता, सीट बेल्ट एवं हेलमेट की उपेक्षा, लेन ड्राइविंग का पालन न करना, सड़क पर अतिक्रमण, गलत तरीके से ओवरटेकिंग, सड़कों की खराब स्थिति आदि हैं जिनसे लोगों को सामान्य एवं गंभीर क्षति या चोट पहुँचती है।

1. तेज गति से वाहन चलाना

लोगों की एक सामान्य प्रवृत्ति है कि वाहन चलाते हुए सभी वाहनों को पीछे छोड़ देना, किन्तु अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं बहुत तेज गति से वाहन चलाने के कारण ही होती हैं। वाहनों की गति में वृद्धि ही दुर्घटना का जोखिम व दुर्घटना के दौरान चोट की गंभीरता बढ़ाती है। कम गति से चलने वाले वाहनों की तुलना में तेज गति से चलने वाले वाहनों की दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है तथा तेज गति के वाहनों के मामले में दुर्घटना की गंभीरता भी अत्यधिक होती है अर्थात् गति जितनी अधिक होती है, उतना ही अधिक जोखिम होता है। बहुत तेज गति की स्थिति में वाहन रोकने के लिए अधिक दूरी अर्थात् 'ब्रेकिंग डिस्टेन्स' की जरूरत पड़ती है।

2. नशे में वाहन चलाना

अलवर जिले के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विभिन्न अवसरों एवं आदतन नशीले पदार्थों का सेवन वर्तमान में सामान्य बात हो गई है, लेकिन जब नशीले पदार्थों का सेवन कर ड्राइविंग की जाती है तो सड़क दुर्घटना की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। नशीले पदार्थों के सेवन के कारण ड्राईवर को ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई आती है, मानव शरीर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं कर पाता एवं मस्तिष्क के निर्देशों के पालन में शारीरिक अंग अधिक समय लेते हैं। शराब के सेवन से सिर चकराने की स्थिति बनती है, दृष्टि कमजोर हो जाती है एवं जोखिम लेने को उकसाती है।

3. ड्राइवर का ध्यान बंटना

वाहन चलाते समय थोड़ा सा भी ध्यान बंटने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ध्यान बंटाने वाले कारण वाहन के बाहर या भीतर हो सकते हैं। अलवर जिले में वर्तमान समय में ध्यान बंटाने वाला एक प्रमुख कारण वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बातचीत करना है। फोन पर बातचीत मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा घेरती है और एक छोटा हिस्सा ड्राइविंग निपुणता में कार्यशील होता है। मस्तिष्क का यह विभाजन प्रतिक्रिया समय एवं फैसले की क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है जो कि कभी भी टक्कर का कारण बन सकता है।

4. लाल बत्ती को लांघना

अलवर जिले के नगरीय क्षेत्रों की सड़कों के चौराहों पर यह सामान्यतः देखा जाता है कि लाल बत्ती की परवाह किए बिना वाहन उन्हें पार करते हैं। लाल बत्ती लांघने के पीछे मुख्य उद्देश्य समय बचाना होता है। कई लोग सोचते हैं कि लाल बत्ती पर रूकना समय व ईंधन की बर्बादी है। विभिन्न अध्ययन दर्शाते हैं कि यातायात संकेतों का पालन करने से लोग समय पर गंतव्य पर पहुंचते हैं। लाल बत्ती लांधने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपना स्वयं का जीवन जोखिम में डालता है बल्कि सड़क के अन्य प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है।

5. परिवर्तनशील यातायात प्रवाह गहनता

अलवर जिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण यहाँ जनसंख्या, वाहनों की संख्या, आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ, राजनैतिक गतिविधियाँ आदि की अधिकता होने के कारण यातायात प्रवाह गहनता प्रभावित होती है। जिले के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में यातायात प्रवाह गहनता भी अलग–अलग रहती है, यही नहीं एक ही सड़क मार्ग के किसी निश्चित भाग पर अलग–अलग समयों पर इसमें अंतर पाया जाता है। जब अधिकतम वाहनों की संख्या बिना रूके किसी सड़क मार्ग पर प्रवाहित होती है तो यातायात प्रवाह गहनता भी अधिकतम होती है। किसी सड़क मार्ग पर वाहनों की अतिअल्पता एवं ट्रैफिक जाम की स्थिति यातायात प्रवाह गहनता को घटाता है। अलवर जिले के जिन क्षेत्रों में यातायात प्रवाह गहनता अधिक रहती है, वहाँ सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी अधिक पायी जाती है।

6. सीट बेल्ट एवं हेलमेट की उपेक्षा

चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट न लगाने एवं दुपहिया वाहनों में हेलमेट न लगाने पर दुर्घटना की संभावना एवं गभीरता दोनों बढ़ जाती हैं, जो कि दिन–प्रतिदिन देखा जाता है। अलवर जिले में चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, इसे न बांधने पर चालान किया जाता है। यही बात दुपहिया वाहनों में हेलमेट न लगाने पर लागू होती है। विभिन्न अध्ययनों में यह साबित हाने पर कानून बनाया गया है कि दुर्घटनाओं के दौरान ये दोनों सुरक्षा उपाय चोट की गंभीरता कम करती हैं। किसी भी गंभीर दुर्घटना में सीट बेल्ट एवं हेलमेट बांधने पर जीवन बचने की संभावना दुगुनी हो जाती है।

7. लेन ड्राइविंग का पालन न करना

अलवर जिले में सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण लोगों द्वारा लेन ड्राइविंग का सही ढ़ंग से पालन नहीं करना है। सड़कों पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए लेन निर्धारित की जाती हैं जिनकी गति सीमा भी अलग–अलग होती है। लेकिन वाहन चालकों द्वारा जल्द गन्तव्य तक पहुँचने के लिए उनका उल्लंघन किया जाता है, सर्वाधिक युवा वर्ग के लड़कों द्वारा इस प्रकार के कार्यों को किया जाता है। जिससे ट्रैफिक जाम लगने व दुर्घटनाओं की संभावना में वृद्धि होती है।

8. गलत तरीके से ओवरटेकिंग

सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण लोगों द्वारा गलत तरीके से ओवरटेकिंग भी है, अपने वाहन को दूसरे वाहनों से आगे निकालने के उद्देश्य से निर्धारित लेन व्यवस्था एवं ओवरटेकिंग के नियमों को नजर अंदाज कर लापरवाही पूर्ण ड्राइविंग स्वयं एवं अन्य वाहन चालकों को घातक सिद्ध होती है, ट्रैफिक जाम एवं दुर्घटना की संभावनाओं को बढ़ाती है। अतः आवश्यक है कि नियमानुसार एवं ट्रैफिक का ध्यान रख कर ओवरटेकिंग की जाए।

9. सड़कों की खराब स्थिति

गहरे गड्डे, क्षतिग्रस्त सड़क, कटी सड़क, ग्रामीण सड़कों का राजमार्गों से मिलना, मार्ग परिवर्तन, अवैध गति अवरोधक, अनुचित संकेत व चिह्न, खराब प्रकाश व्यवस्था, खराब ज्यामिति आदि भी सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों के अन्तर्गत आते हैं। अलवर जिले में यह स्थिति कई बार देखी जाती है, जो कि गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं।

10. गलत सड़क प्रतिरूप

अलवर जिले में सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा एवं प्रमुख कारण कई स्थानों पर गलत सड़क प्रतिरूपों का होना है, जहाँ ड्राइवर उलझन में पड़ जाता है कि क्या किया जाए एवं दुर्घटना हो जाती है। जहाँ भी चौराहों पर बत्ती का अभाव है एवं खुला स्थान नहीं है, दूर से ही ड्राइवर दूसरे वाहनों को देखने में असक्षम रहता है, अलवर शहर एवं बडे कस्बों में यह स्थिति देखने को मिलती है, टी आकार के प्रतिरूप में भी सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है। जिन क्षेत्रों में सड़क के किनारे ऊँची दीवार, मकान या दुकान होती है एवं कोई दूसरी सड़क आ कर मिलती है तो वहाँ दुर्घटना की संभावना रहती ळें

11. सड़क पर अतिक्रमण

सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण सड़क के किनारों पर लोगों द्वारा अस्थाई एवं स्थाई अतिक्रमण कर लेना होता है। सड़क की चौड़ाई तो निश्चित रहती है लेकिन लोगों द्वारा मकानों को निश्चित क्षेत्रफल से अधिक बना कर सड़क का अतिक्रमण, सड़क के किनारे वाहन पार्क कर देना, दुकानदारों द्वारा दुकानों का सामान उसके सामने बाहर सड़क पर रख लेना, विभिन्न मेलों व हाट का सड़क किनारे लगाना, रेहड़ी व ठेलों को सड़क किनारे खड़ा करना आदि अनेक कारण हैं जिनसे जाम की स्थिति बनती है एवं सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती है।

सुझाव

- सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को कड़ाई से लागू करवाना एवं लोगों को उनका पालन करने के लिए जागरूक एवं बाध्य करना आवश्यक है, ताकि उनका औचित्य सफल हो सके।
- नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, चालान एवं ड्राईविंग लाइसेन्स सस्पेंड़ करना चाहिए।
- सही मायनों में लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना ताकि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके।
- राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति–2010, सड़क सुरक्षा सप्ताह आदि को धरातल पर अधिक कारगर बनाने के प्रयास करने चाहिए।
- सड़क दुर्घटना संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कड़ाई से लागू किया जाए ताकि अधिकतम लोगों की मदद हो सके।
- सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जाए, कार की पीछे की सवारियों को भी यह अनिवार्य करना आवश्यक है। दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट अतिआवश्यक किया जाए, गलती करने पर सख्त कार्यवाही हो।
- जिले में ट्रेफिक पुलिस की संख्या बढ़ानी चाहिए साथ ही सभी चौराहों, गलियों व नुक्कड़ों पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।
- सड़क दुर्घटना के पीड़ितों कों प्राथमिक उपचार एवं मदद की तीव्र व्यवस्था की सुविधा मिलने संबंधी सिस्टम होना चाहिए।
- पैदल–यात्रियों, साइकिल चालकों, स्कूल बस चालकों को अधिक सावधानी से चलना आवश्यक है।
- बच्चों को सड़क पार करने का आचरण व नियम सिखाना अनिवार्य है अतः सरकार के साथ–साथ अभिभावकों को इस कार्य में अपना योगदान देना चाहिए।
- पार्किंग, वाहन के रखरखाव संबंधी सही एवं उचित जानकारी रखना आवश्यक है ताकि असुविधा एवं दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
- विशेष परिस्थितियों में ड्राइविंग संबंधी पूर्व तैयारी एवं प्रशिक्षण लेना चाहिए, रात्रि के समय, वर्षा के दौरान, पहाड़ी पर, लम्बा जाम आदि परिस्थितियों में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है।
- सड़क पर नियमों का पालन करते हुए, शान्त रह कर एवं ध्यानपूर्वक वाहन चलाने से गन्तव्य तक सुरक्षित पहुँचना लक्ष्य रखें, दुर्घटना से देर भली।

निष्कर्ष

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सड़क दुर्घटना होने के प्रमुख कारणों में वाहन चालकों की लापरवाही एवं गलती होती है, फिर चाहे अधिक तेज गति से वाहन चलाना हो या फिर नशे की अवस्था में वाहन चलाना, इनके अतिरिक्त जल्दबाजी के कारण लाल बत्ती को तोड़ना, ध्यान कहीं और चला जाना, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का प्रयोग नहीं करना, लेन ड्राइविंग का नियम तोड़ना, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना आदि कारणों से सड़क दुर्घटना हो जाती है। विशेष परिस्थितियों में परिवर्तनशील यातायात प्रवाह गहनता, सड़क पर किसी प्रकार के अतिक्रमण का होना, सड़कों की स्थिति खराब होना आदि भी सड़क दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, विभिन्न आयोजन करना, सड़क सुरक्षा को स्कूली शिक्षा में प्रमुखता से शामिल करना, कड़ाई से यातायात के नियमों की पालना करवाना तो प्रमुख मुद्दे हैं ही लेकिन आवश्यक है लापरवाही एवं जानबूझ कर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जैसे अधिक रकम का चालान, ड्राईविंग लाइसेन्स सस्पेंड़, जुर्माना, कारावास आदि प्रावधान लागू हों।

सन्दर्भ

1. राय मुकेश (2022) "ट्रांसपोर्टेशन इंजिनियरिंग" एकूमैन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 43–49।
2. जोशी ए. डी. (2022), "सड़क सुरक्षा कवच" नोशन प्रेस प्रा. लि. चेन्नई, पृष्ठ संख्या 27–39।
3. सक्सेना, हरिमोहन (2021),''राजस्थान का भूगोल'', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान सरकार पृष्ठ संख्या 51–59।
4. शर्मा, एच.एस. एवं शर्मा, एम.एल. (2020), राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या 82–88।
5. जिला साख्यिकी रूपरेखा, अलवर जिला– 2020
6. प्रकाश ओम (2019) "यातायात व सड़क सुरक्षा के नियम", अमित प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या 65–87।
7. सिंह संजय कुमार (2017), "भारत में सड़क यातायात दुर्घटनाएँः मुद्दे और चुनौतियाँ" प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 58–78।
8. रंधावा एस. एस. (2016) "रोड़ सेफ्टी एण्ड़ ट्रैफिक रूल्स" एस. विकास एण्ड़ कंपनी (पी.वी.), जालंधर, पृष्ठ संख्या 16–36।